59 II/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/6078

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा जिला रीवा म0प्र0

दो रुपये TWO RUPEES दो रुपये TWO RUPEES दो रुपये दो रुपये TWO RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित / विलोपित

Rs 30/-

रामरथी मिश्रा पिता स्व0सुदर्शन प्रसाद मिश्रा उम्र 54 साल पैशा खेती निवासी ग्राम डोल, तहसील सिरमौर,जिला रीवा म0प्र0

अधि० श्री अनन्त त्रिपाठी द्वारा पेश 13-12-17

.............आवेदक/ निगरानीकर्ता

बनाम

रजिस्ट्रार आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1. श्रीनिवास मिश्रा तनय स्व0अनुसुइया प्रसाद मिश्रा उम्र 72 साल पेशा खेती निवासी ग्राम डोल तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0
2. रामकृष्ण मिश्र तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद मिश्रा उम्र 62 साल पेशा खेती निवासी ग्राम डोल तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0
3. रामायण प्रसाद मिश्र तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद मिश्रा उम्र 60 साल पेशा खेती निवासी ग्राम डोल तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0
4. अश्वनी कुमार तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद मिश्रा उम्र 46 साल पेशा खेती निवासी ग्राम डोल तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0
5. बालगोबिन्द तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद मिश्रा उम्र 77 साल पेशा खेती निवासी ग्राम डोल तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

...........अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी बिरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के अपील प्रकरण क्रमांक 274/अपील/2017-2018 रामरथी मिश्र बि0 श्री निवास मिश्र व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 7.11. 2017 के बिरुद्ध निगरानी .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 .

रामरथी मिश्रा

रामरथी मि

55(2)के आवेद

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/6048

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23-5-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अनन्त त्रिपाठी द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 274/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 07.11.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्त के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.6.14 को अपने आदेश में लेख किया है कि पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 11.7.07 को आदेश पारित किया जा चुका है। प्रकरण में यह भी अवलोकन से पता चला है कि संहिता की धारा 115/116 के तहत कब्जा दर्ज करने का आदेश पारित किया था जिससे स्पष्ट है कि संहिता की धारा 115/116 के तहत नई प्रविष्टि व कब्जा दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। जिससे अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण कायमी पर खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखने योग्य है। 3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 274/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 07.11.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक	

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा/2017/6078

द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य